श्री पूरण सिंह, को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। उन्होंने बताया कि "राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण मंच" नामक संस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत काम कर रही है। जब तक संस्था का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक किसी भी सदस्य से कोई शुल्क नहीं लिया जाये। साथ में यह भी बताया, संस्था पंजीकृत नहीं कराई है। आयोग के मतानुसार से कोई भी संस्था, राष्ट्रीय मानवाधिकार या राज्य मानव अधिकार के नाम या समानान्तर नाम से संगठन नहीं चला सकता। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ग) में संस्था गठन करने के अधिकार मात्र से बिना पंजीकृत कराये लीगल एन्टेटी नहीं होने से उपरोक्त संस्था की कोई अहमियत या वैद्यानिक आधिकारिता नहीं होती।

श्री पूरण सिंह ने कहा कि संस्था से राष्ट्रीय मानवाधिकार का नाम हटा लेंगे व संस्था को नये सिरे से पंजीकृत करायेंगे और आईदा "राष्ट्रीय मानवाधिकार" संरक्षण मंच के नाम से भविष्य में इस संस्था के लैटरपैड पर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। अगर कोई कार्यवाही करें तो सरकार या आयोय से उस पत्र के प्रत्युत्तर की अपेक्षा नहीं करेंगे।

अतः यह निर्देश दिया जाता है कि श्री पूरण सिंह इस राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण मंच के नाम से कोई कार्य नहीं करेंगे । इस नाम से उनके द्वारा कोई पत्र व्यवहार मानवाधिकार आयोग या सरकार के साथ नहीं करेंगे। यदि किसी भी प्रकार से इस तरह के नाम का इस्तेमाल आईदा करेंगे तो रजिस्ट्रार, कॉपरेटिव संस्थाएं या सक्षम अधिकारी को इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का पूरा अधिकार होगा।

जहां तक परिवाद में की गई शिकायत का सवाल है विभाग ने इसका उत्तर देखते हुए यह कहा है कि प्रत्येक कर्मचारी के खातों में नियमानुसार एण्ट्री की जा रही है। यदि भविष्य में किसी भी कर्मचारी के खाते में कोई गलत एण्ट्री या ब्याज को कोई अन्तर हो तो पीडित व्यक्ति विभाग को लिख कर उसे ठीक करवा सकते है, अन्यथा पीडित पक्ष कानूनी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। विभाग भी इस बात का ध्यान रखेंगे एण्ट्री सही व समय पर हो।

रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजस्थान, जयपुर को इस आदेश की प्रति भेजते हुए, अपेक्षा की जाती है कि रजिस्ट्रेशन के समय यह ध्यान रखें कि किसी भी संस्था का नाम राष्ट्रीय मानवाधिकार या राज्य मानवाधिकार से मिलता जुलता न हो, ताकि जिससे भ्रम की स्थिति पैदा नहीं हो एवं आम जनता या पीडित इसे आयोग की कोई शाखा या सहायक संस्था न समझें।

परिवाद उपरोक्त निर्देशों के साथ निस्तारित किया जाता है। परिवादी संस्था को सूचित किया जाये।

दिनांकः 28 सितम्बर, 2005 परिवाद सं. 05/16/2833

खण्डपीठ

न्यायमूर्ति श्री एन.के.जैन, अध्यक्ष

श्री धर्मसिंह मीणा, सदस्य

परिवाद खण्डपीठ के समक्ष पेश हुआ। यह परिवाद श्री गंगानगर के श्री शशिकान्त गोयल द्वारा प्रस्तुत कर, आयोग को शिकायत की गई है कि श्री विजय कुमार मित्तल एवं एस.डी.पी.जी. कॉलेज के लाईब्रेरियन श्री राधेश्याम चारण ने मिलकर श्री गंगानगर में निम्न छः संस्थाएं बनाई है :–

1– राष्ट्रीय चेतना मंच।

2– अखिल भारतीय स्व0 राजीव गांधी मानव सेवा संस्थान।

3– मानव अधिकार एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन संघ।

4– अखिल भारतीय स्वतंत्र लेखक मंच।

5– जिला नेहरू परिषद्।

6– मानवाधिकार एवं उपभोक्ता संरक्षण संघ।

ये संस्थायें सम्माननीय विभूतियों एवं मानवाधिकार के नाम पर बनाई गई हैं तथा योग चिकित्सा शिविर, सामाजिक एवं धार्मिक, नशा मुक्ति केन्द्रों आदि संगठनों के नाम पर विभिन्न राजकीय कार्यालयों, सामाजिक संस्थाओं एवं आम जनता को गुमराह कर रही हैं, तथा नाजायज रूप से धन वसूलती हैं। इन फर्जी संस्थाओं की वजह से आम जनता गुमराह हो रही है तथा राज्य मानवाधिकार आयोग के नाम का दुरूपयोग कर इसकी गरिमा को कम कर आम जनता को भ्रमित कर रही हैं। शिकायत में यह भी कहा गया है कि ये संस्थायें न तो पंजीकृत हैं एवं न ही धन प्राप्त करने का कोई हिसाब रखती हैं। शिकायत के साथ साक्ष्य के तौर पर शिकायतकर्ता द्वारा उक्त संस्थाओं द्वारा भेजे गये दस्तावेज व अखबार की कटिंग भी प्रस्तुत की हैं। साथ ही इन फर्जी संस्थाओं की जांच कराने व भारतीय दण्ड सहिता के तहत मुकदमा दर्ज कर, आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने के साथ, संस्थाओं की प्रमाणिकता की जांच करा कर इन्हें रद्द करवाने की मांग की गई है।

यह सही है कि गैर सरकारी संगठन/संस्था जो मानवाधिकार हनन के प्रति सावचेत या निगरानी रख रही है, राज्य मानव अधिकार आयोग उनकी सहायता, सहयोग एवं साक्षरता अभियान, कार्य एवं सेवा में उसका हर तरह से स्वागत करता है। परन्तु साथ ही यह भी देखना है कि स्वयं सेवी संस्था क्या काम कर रहे हैं, मानवाधिकार के नाम पर दूसरों को गुमराह कर अपना स्वार्थ सिद्ध तो नहीं कर रहे,

संस्था के क्या उद्देश्य हैं, पंजीकृत है या नहीं? कार्यकारिणी का चुनाव कब किया गया आदि। या सिर्फ संस्था अपना प्रचार–प्रसार या राजनीतिक प्रभाव या दबदबा तो नहीं जमाना चाहती है।

परिवाद एवं उसके साथ प्रस्तुत अभिलेखों का भी अवलोकन किया गया।

जहां तक आयोग का प्रश्न है, आयोग की कोई सहयोगी संस्था एवं शाखा आदि राजस्थान में कहीं पर भी नहीं है तथा कोई भी पीडित परिवादी सीधे ही या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति आयोग में अपना परिवाद प्रेषित कर सकता है। किसी संस्था अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग में परिवाद प्रेषित करना आवश्यक नहीं है। क्योंकि आयोग द्वारा अखबार की खबर या अन्य श्रोतो से प्राप्त सूचना से मानव अधिकार के हनन के आधार पर भी स्व प्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया जा सकता है। कल्याणकारी राज्य में सरकार का दायित्व बनता है कि मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति के प्रति जवाबदायी हो। सुशासन वह महत्वपूर्ण तत्व है जो मानव अधिकारों की रक्षा को प्रभावी तौर पर सुनिश्चित करता है।

आयोग में प्राप्त परिवादों में आम तौर पर निम्न संगठन पाये गये हैं :–

1– मानवाधिकार के क्षेत्र में सकिय कार्यरत संगठन व पंजीकृत,

2– अन्य प्रकार की पंजीकृत संस्था होते हुए भी लम्बे अर्से से उस क्षेत्र में निष्किय संगठन।

3– अपंजीकृत अथवा फर्जी/स्वयंभू अपंजीकृत संगठन जो मानवाधिकार आयोग के मिलते जुलते नामों से कार्य कर रहे हैं। पीडित की ओर से अधिकृत किये बिना ही समाचार पत्रों के आधार पर शिकायतकर्ता।

यह जरूरी है कि पीडित वर्ग एवं आम जनता अपने मानवाधिकार हनन के संबंध में ऐसे किसी भी संगठनों से भ्रमित न हो। आयोग पूर्व में भी परिवाद संख्याः 04/17/1694 में "राष्ट्रीय मानवाधिकार मंच" अजमेर नामक संस्था के बारे में इस बाबत आदेश दिनांकः 5–9–05 प्रसारित कर चुकी है।

इन परिस्थितियों में उक्त शिकायत के तथ्यों की वास्तविक जरूरी जानकारी के लिए श्रीगंगानगर, जिला कलेक्टर को सभी दस्तावेज एवं इस आदेश की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जाना आवश्यक है। संबंधित अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि कानूनन प्रावधान के तहत आवश्यक कार्यवाही अमल में लायें व अगर तथ्य सही पाये जायें तो इनके विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं। उक्त तथ्यों के आधार पर परिवाद निस्तारित किया जाता है।

दिनांकः 22 मार्च, 2006 परिवाद सं. 05/19/2146

पूर्ण पीठ

न्यायमूर्ति श्री एन.के.जैन, अध्यक्ष
न्यायमूर्ति श्री जगतसिंह, सदस्य
श्री धर्मसिंह मीणा, सदस्य

पत्रावली पूर्णपीठ के समक्ष पेश हुई। अखिल भारतीय मानवाधिकार निगरानी समिति ने जालौर जिले के विभिन्न विभागों द्वारा जनहित के कार्यों को नजर अन्दाज करने की शिकायत की है और प्रार्थना की है कि विभागों से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति उन्हें भी उपलब्ध करावें। आयोग द्वारा दिनांकः 22–7–05 को परिवाद में प्रसंज्ञान लेकर जिला कलक्टर, जालौर से जांच करवा कर, उनकी टिप्पणी सहित रिपोर्ट दि: 09–09–2005 तक तलब की गई। साथ ही परिवादी संस्था के कार्य एवं उद्धेश्य, रजिस्ट्रेशन, पदाधिकारियों के चुनाव की प्रकिया के साथ आवश्यक दस्तावेज आयोग को उपलब्ध कराने हेतु भी लिखा गया है।

जिला कलक्टर, जालौर ने अपनी जांच रिपोर्ट संलग्न कर, अपने पत्र दिनांकः 3–1–06 द्वारा जांच रिपोर्ट अपनी टिप्पणी सहित प्रेषित की, जिसमें बताया कि सतर्कता समिति संबंधित विभाग से विचार कर निर्णय लेती है, समय–समय पर बैठक कराती है और शिकायतों का निपटारा करती है। उन्होंने अपनी टिप्पणी में यह भी बताया कि परिवाद में अंकित आरोप निराधार, बेबुनियाद एवं अस्पष्ट होने से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। आयोग ने परिवाद में आगे की जांच जारी रखने का कोई न्यायसंगत आधार नहीं मानते हुए परिवाद में कार्यवाही बंद करने के आदेश दिये गये।

परिवादी संस्था से चाही गई जानकारी के लिए फिर आदेश दिया कि यदि वह अन्य किसी संस्था से सम्बद्ध है तो उसका अधिकार पत्र, रजिस्ट्रेशन, नवीन पदाधिकारियों की सूची, कार्य एवं उद्धेश्यों से संबधित दस्तावेजात, जो विहित प्रावधानों के अधीन पंजीकृत है, की सत्यापित प्रतियां आयोग को दिनांकः 3–3–06 से पूर्व प्रेषित करावें।

उक्त आदेश की प्रति जिला कलक्टर, जालौर को भी प्रेषित कर, अपेक्षा की गई थी कि परिवादी श्री हरीश त्रिवेदी 'कमल' निवासी सांचौर, जिला जौर द्वारा संचालित "अखिल भारतीय मानवाधिकार निगरानी समिति" से संदर्भित दस्तावेजात परिवादी से प्राप्त कर आयोग को प्रेषित करावें व आयन्दा परिवाद पूर्ण आयोग के समक्ष दिनांकः 20–3–2006 को पेश होने हेतु लिखा गया।

परिवाद पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवाद आदेश दिनांकः 18–01–2006 द्वारा निस्तारित कर दिया गया था। परिवादी संस्था ने अपने पत्र दिनांकः 01–02–06 द्वारा आयोग को सूचित किया कि उनके प्रदेशाध्यक्ष द्वारा समस्त प्रकार की जानकारी जरिये पत्र दिनांकः 11–12–05, आयोग को भेजी

जा चुकी है। इस संदर्भ में प्रदेश अध्यक्ष के उक्त पत्र दिनांकः 11–12–05 का भी अवलोकन किया गया। इसमें उनकी समिति के साथ विभिन्न विभागों एवं आयोगों तथा प्रशासन के समक्ष विभिन्न मुद्दों पर हर पत्राचार की फोटो प्रतियां प्रेषित की गई है। साथ ही समिति के कार्य एवं उद्देश्यों के संबंध में सूचना प्रेषित की गई है। परन्तु संस्था के पंजीकरण आदि के संबंध में प्रमाणित दस्तावेज आयोग को उपलब्ध कराना नहीं पाया जाता है। यह भी नहीं दर्शाया गया है कि उक्त समिति द्वारा कब–कब चुनाव करवाये गये एवं पदाधिकारियों का समय–समय पर चुनाव अथवा मनोनयन कब–कब किया गया है?

जिला मजिस्ट्रेट, जालौर के पत्र दिनांकः 17–2–06 के अनुसार भी परिवादी समिति ने अपने पत्र दिनांकः 01–02–06 की प्रति ही उन्हें उपलब्ध कराई गई है, जिसमें केवल यह अंकित किया है कि समिति के प्रदेशाध्यक्ष द्वारा जानकारी आयोग को प्रेषित कर दी गई है। पत्रावली में कुछ दस्तावेज व एनएचआरआईसी कमीशन द्वारा दिये आदेश पेश किये हैं, जिसको आदेश दिनांकः 09–09–05 या 18–01–06 की पालना नहीं कहा जा सकता।

पुनः यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि जिला मजिस्ट्रेट, जालौर ने अपने पत्र दिनांकः 03–01–06 द्वारा आयोग को यह अवगत कराया गया है कि परिवादी समिति द्वारा आयोग को प्रेषित इस परिवाद की जांच उप खण्ड अधिकारी, सांचौर से कराये जाने पर परिवाद में लगाये गये आरोप निराधार एवं बेबुनियाद तथा अस्पष्ट होने से कोई कार्यवाही की जानी अपेक्षित नहीं है। शिकायतकर्ता द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के मानाधिकारों के हनन का मुद्दा इस शिकायत में नहीं दर्शाया गया है, अपितु राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में नियमों के वशीभूत अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली एवं लम्बित मामलों का उल्लेख किया गया है। आगे की कार्यवाही बन्द करने की सूचना पूर्व में ही संबंधित को दी जा चुकी है।

अब आयोग की ओर से इस स्टेज पर अन्य किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है। परन्तु यहां यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि पीडित अपने मानवाधिकार हनन के तथ्यों को वर्णित कर शिकायत करने को स्वतंत्र है। यह भी अपेक्षा की जाती है कि संबंधित विभाग शिकायत आने पर उसकी निष्पक्ष जांच करवा कर कानूनी कार्यवाही करेंगे व उनका निपटारा करेंगे। परिवादी को पुनः सूचित करने की आवश्यकता नहीं है। परिवाद इसी स्तर पर पत्रित रहे।

आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम

क्र.सं.	दिनांक	विवरण
1.	10 अक्टूबर, 2005	माननीय न्यायमूर्ति वाई. भास्कर सदस्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के सानिध्य के सानिध्य में आयोग द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों के साथ मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता पर न्यायमूर्ति एन.के. जैन की अध्यक्षता में संगोष्ठी।
2.	10 नवम्बर, 2005	आयोग के सानिध्य में महानिदेशक, पुलिस, महानिदेशक, कारागार, शिक्षा, समाज कल्याण, चिकित्सा, यातायात व गैर सरकारी संगठनों के साथ न्यायमूर्ति एन.के. जैन, की अध्यक्षता में विचारगोष्ठी।
3.	14 नवम्बर, 2005	बाल दिवस पर महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर में पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत, के मुख्यातिथ्य व श्री मोहन दास जी के विशिष्ट आतिथ्य एवं न्यायमूर्ति एन.के. जैन की अध्यक्षता में बाल अधिकारों पर चर्चा।
4.	26 नवम्बर, 2005	आयोग के सानिध्य में संभागीय आयुक्त, जयपुर, जिला कलेक्टर, अलवर एवं विभिन्न अधिकारियों के साथ न्यायमूर्ति एन.के. जैन की अध्यक्षता में मानवाधिकार विषय पर विचार गोष्ठी।
5.	10 दिसम्बर, 2005	अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर माननीया श्रीमती वसुन्धरा राजे, मुख्यमंत्री महोदया मुख्य अतिथि, श्रीमती सुमित्रा सिंह, विधानसभा अध्यक्ष व श्री गुलाब चन्द कटारिया विशिष्ट अतिथि एवं डॉ. सुरेश श्रीवास्तव यू.एस. एसोसियेशन की उपस्थिति में मानवाधिकार विषय पर वृहद संगोष्ठी।
6.	10 दिसम्बर, 2005	अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, न्यायमूर्ति एन.के. जैन, की मुख्यातिथ्य एवं कुलपति श्री नरेन्द्र कुमार जैन की अध्यक्षता में मानवाधिकार विषय पर चर्चा।
7.	17 दिसम्बर, 2005	पैंशनर्स डे पर न्यायमूर्ति एन.के. जैन, के मुख्यातिथ्य में श्री वीरू सिंह, श्री सुरेन्द्र पारीक विधायकों की उपस्थिति एवं श्री दिनेश गुप्ता की अध्यक्षता में पैंशन एवं मानवाधिकार विषय पर चर्चा की।
8.	6 जनवरी, 2006	अनुराग संगीत संस्थान, जयपुर के तत्त्वावधान में श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष

क्र.सं.	दिनांक	विवरण
		राजस्थान विधान सभा के मुख्यातिथ्य में विकलांग व नेत्रहीन बचों के मानवाधिकार व नेत्रहीन बालकों की राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता एवं बालकों के मानवाधिकार विषय पर न्यायमूर्ति एन.के. जैन की अध्यक्षता में चर्चा।
9.	26 जनवरी, 2006	बाल शिखा मंदिर महावीर पार्क, जयपुर एवं श्री दिगम्बर जैन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर के तत्वावधान में न्यायमूर्ति एन.के. जैन, द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह में झण्डारोहण, पारितोषिक वितरण एवं बालकों को उनके अधिकारों की जानकारी व चर्चा।
10.	29 जनवरी, 2006	श्री आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान, अलवर में समाज कल्याण विभाग व अन्य विभागों के स्थानीय प्रतिनिधियों से मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता पर न्यायमूर्ति एन. के. जैन की अध्यक्षता में चर्चा।
11.	25 फरवरी, 2006	माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति आर.एस. चौहान, आयोग के सदस्य जस्टिस जगत सिंह, श्री धर्म सिंह मीणा के सानिध्य में महानिदेशक, कारागार, राजस्थान अन्य अधिकारियों व स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ जेल में बंदियों के सुविधाओं एवं मानवाधिकार विषय पर न्यायमूर्ति एन.के. जैन, की अध्यक्षता में कार्यशाला।
12.	27 फरवरी, 2006	'दी लिटिल पिक्सिज' संस्था के तत्वावधान में पाँच वर्ष से छोटे बचों द्वारा विभिन्न मुद्राओं में न्यायमूर्ति एन.के. जैन के मुख्य आतिथ्य में मानवाधिकार एवं पर्यावरण विषय पर चर्चा व सांस्कृतिक कार्यक्रम।
13.	19 मार्च, 2006	राजस्थान विश्वविद्यालय में 'सैण्टर फॉर जैन स्टडीज' व त्रिलोक उच्च स्तरीय अध्ययन एवं अनुसंधान, कोटा के तत्त्वावधान में न्यायमूर्ति एन.के. जैन के मुख्यातिथ्य व श्री एन.के. जैन कुलपति की अध्यक्षता में 'अखिल भारतीय जैन विद्या संगोष्ठी/पुराणों में जीवन मूल्य एवं मानवाधिकार' विषय पर चर्चा।
14.	25 मार्च, 2006	आयोग व राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी जयपुर के तत्त्वावधान में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्वयंसेवी संगठनों, डॉ. बी.एल. चौधरी एवं चिकित्सकों से एचआईवी/एड्स एवं मानवाधिकार विषय पर न्यायमूर्ति एन.के. जैन की अध्यक्षता में विस्तृत चर्चा।

आयोग के दिशा-निर्देश

विवाह स्थलों के सम्बन्ध में कानून

शादी-विवाह व अन्य समारोहों के लिए ठेकेदारों के माध्यम से आवासीय परिसर किराए पर दिए जा रहे हैं। आयोग ने इनके सम्बन्ध में कानून बनाने के लिए नगरपालिकाओं व अन्य स्थानीय निकायों को लिखा। इसके बाद सम्बन्धित पार्टीज को सुनकर नगर निगम, जयपुर ने इस सम्बन्ध में कानून बनाने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली व सरकार को कानूनी सहमति के लिये भेज दी।

बच्चे देश का भविष्य

बच्चे देश का भविष्य हैं। उनके सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ चित्रकला एवं खेलकूद जैसी सहशैक्षणिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना जरूरी है। इससे प्रतिभा निखरेगी व आत्मविश्वास विकसित होगा और समभाव से देश प्रेम की भावना भी जागृत होगी। बच्चों के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के अनेक दिशा-निर्देश हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। इसके लिए अभिभावक एवं समाज को समन्वित प्रयास करना चाहिए। इसके लिए शिक्षा का प्रसार भी आवश्यक है।

- आयोग के निर्देश पर बाल श्रमिकों की परियोजना बनी, जिसकी मॉनिटरिंग के लिए कमेटी गठित हो गई है।
- अनुराग संगीत संस्थान द्वारा जनवरी में नेत्रहीन एवं विकलांग बालकों के मानवाधिकार तथा नेत्रहीन बालकों की राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 1500 नेत्रहीन बच्चों ने भाग लिया।

हर नागरिक को मिले स्वास्थ्य सुविधा

कल्याणकारी राज्य होने के कारण राज्य के सभी नागरिकों खासकर बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसके लिए अस्पतालों में सभी उपकरण एवं मशीनें ठीक हों, इससे ही अस्पतालों का उद्देश्य सफल हो सकेगा। आयोग ने इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर राज्य के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल में आए दिन जांच उपकरण खराब होने की जानकारी मिलने पर सम्बन्धित अधिकारियों से इसका कारण पूछा।

अस्पतालों में जांच उपकरणों के साथ ही गहन चिकित्सा इकाई में रोगी को तुरन्त उपचार मुहैया कराने के लिए आवश्यक आपातकालीन दवाइयां उपलब्ध होनी चाहिए। मुख्य सचिव अनिल वैश्य के अचानक बीमार होने के दौरान उन्हें कुछ दवाइयां तुरन्त उपलब्ध नहीं हो पाई व बाहर से मंगाई। आयोग ने इस बारे में समाचार पत्रों में छपी खबर के आधार पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया और इस स्थिति में सुधार के उद्देश्य को लेकर प्रमुख स्वास्थ्य सचिव से जवाब मांगा।

इसी तरह फर्जी तरीके से चिकित्सा मंत्री डॉ. दिगम्बर सिंह का बीमारी का प्रमाण पत्र बनने के मामले में भी आयोग ने वस्तुस्थिति की जानकारी ली।

आयोग व राजस्थान एड्स कन्ट्रोल सोसायटी जयपुर के तत्वावधान में एच.आई.वी./एड्स एवं मानवाधिकार विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें ऑपरेशन के दौरान प्रत्येक रोगी, गर्भवती महिलाओं का इस बीमारी का परीक्षण कराने पर जोर देने पर प्रमुखता से चर्चा हुई। राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति एन.के. जैन ने कार्यशाला में कहा कि आयोग में पिछले दिनों दो-तीन मामले एच.आई.वी./एड्स से संबंधित आए। इस पर एड्स रोकथाम सम्बन्धी कार्यक्रमों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए निर्देश दिए और निदेशक (एड्स) से हर दो माह में आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। जैन ने कहा कि यदि हम समर्पण के साथ एड्स नियंत्रण कार्यक्रमों को चलाएं तो यह मानवता के प्रति महान कार्य होगा। कार्यशाला में प्रमुख चिकित्सकों के अलावा आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति जगत सिंह एवं सदस्य डी.एस. मीणा ने भी भाग लिया।

अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर राजधानी जयपुर में प्रमुख कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे, विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा सिंह, गृहमंत्री श्री गुलाबचन्द कटारिया एवं यू.एस. एसोसिएशन के डॉ. सुरेश श्रीवास्तव ने भाग लिया। राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से भी इस उपलक्ष में कुलपति डॉ. एन.के. जैन की अध्यक्षता में गोष्ठी का आयोजन किया गया।

नवम्बर 2005 में संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा जिला कलक्टर, अलवर एवं जिले के विभिन्न के अधिकारियों, एडवोकेट, एमएलए, पीएनजी, एन.जी.ओ., बुद्धिजीवियों एवं सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के साथ मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता के लिए अलवर में गोष्ठी का आयोजन किया, इसमें आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने भी भाग लिया। इसी तरह की गोष्ठी पहले राजधानी जयपुर में आयोजित की गई। इसमें जिले के प्रमुख अधिकारियों ने अपने विचार रखे।

जेलों का वातावरण सुधारा जाए

25 फरवरी, 2006

राज्य मानवाधिकार आयोग एवं कारागार महानिदेशालय की ओर से सचिवालय में 'कारागार एवं मानवाधिकार' विषय पर कार्यशाला आयोजित हुई। गृहमंत्री गुलाबचन्द कटारिया ने छोटी बालिकाओं से बलात्कार की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि संगीन अपराध करने वालों को कठोर सजा आवश्यक है। चैन तोड़ने वाले जमानत लेकर फिर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बंदियों की खुराक में सुधार करने पर विचार किया जाएगा।

राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति एन.के. जैन ने कहा कि जेलों का वातावरण सुधरने पर ही बंदी का आचरण सुधर सकता है। जेल में आते ही बंदी का स्वास्थ्य परीक्षण हो।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आर.एस. चौहान ने कहा कि बंदियों को पैरोल पर छोड़ने की नीति लचीली होनी चाहिए। जेलों को अनुत्पादक मानकर पर्याप्त बजट का आवंटन नहीं किया जाता।

महानिदेशक (जेल) आर.एस. चौहान, मानवाधिकार आयोग सदस्यं जगतसिंह व धर्मसिंह मीणा, विधि सचिव गुमान सिंह तथा वरिष्ठ पुलिस व जेल अधिकारी भी मौजूद थे।

आयोग समय-समय पर यह मंशा जाहिर कर चुका है कि बंदियों को बेहतर इंसान बनाने के लिए उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जाना चाहिए। जेलों में बंदियों के मनोरंजन के लिए टेलीविजन, खेलकूद, लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए। बंदियों को पेंटिंग, संगीत एवं योग सिखाया जाए। त्यौहारों का आयोजन भी जेलों में होना चाहिए। पुलिस महानिदेशक को गिरफ्तारी के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय द्वारा डी.के. बसु प्रकरण में दिए निर्देशों की पालना की ओर ध्यान दिलाया।

आयोग की अन्य गतिविधियां

- बालवाड़ी के बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों व पेंशनभोगी लोगों से बच्चों में अच्छी शिक्षा के साथ नैतिकता एवं मानवीय मूल्यों व अच्छे संस्कार देने पर चर्चायें की।
- आयोग द्वारा 'सौराष्ट्र लॉ यूनिवर्सिटी' के छात्रों को मानवाधिकार विषय पर आवश्यक जानकारी दी गई, छपी हुई सामग्री उपलब्ध करवाने के साथ-साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया।
- भारतीय बाल कल्याण परिषद् के माध्यम से 14 नवम्बर, 2005 को राज्यभर के छात्र-छात्राओं ने सुन्दर चित्रकारी, दी लिटिल पीक्षिज स्कूल की 'बाल फुलवारी' द्वारा पर्यावरण विषय के विभिन्न पहलुओं को पोस्टरों/इश्तिहारों के माध्यम से अपने नन्हें-मुन्ने हाथों से प्रोजेक्ट किया तथा 10 दिसम्बर, 2005 को मानवाधिकार दिवस पर आयोजित समारोह में महावीर स्कूल के छात्र-छात्राओं, जिन्होंने मानवाधिकार विषय के विभिन्न पहलुओं को चित्रकला के माध्यम से प्रभावशाली रूप से प्रदर्शित किया, उक्त सभी इसके लिये बधाई के पात्र हैं।
- इसके अतिरिक्त ये सभी स्कूल भी यथा- आदिनाथ संस्थान, बालं शिक्षा मंदिर, बीएसएम पब्लिक स्कूल, श्री महावीर दिगम्बर जैन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिन्होंने, विचार गोष्ठियों, सांस्कृतिक गतिविधियों एवं अन्य कलाकृतियों के माध्यम से मानवाधिकार विषय पर जन-जागृति उजागर करने में मदद की, वे भी सराहना एवं बधाई के पात्र हैं।

आयोग में विचाराधीन परिवादों की स्थिति

दिनांक 30.06.2005 को 671 परिवाद लम्बित थे। वर्ष 2005-2006 में 3890 नये परिवाद दर्ज हुए, जिनमें से 32 परिवादों में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया। 3173 नये मामले, पुराने व री-हेयरिंग 848 कुल 4021 मामलों में तर्कसंगत निष्कर्ष कर प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया है। दिनांक 01.04.06 तक आयोग में 906 प्रकरण लम्बित हैं।

आयोग चाहता है

- विभिन्न विभागों के अधिकारी संवेदनशील होकर कार्य करें। जिससे मानवाधिकारों का हनन कम से कम हो।
- पानी व शौचालयों की जगह-जगह व्यवस्था हो। शौचालयों की सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाए।
- समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों में बच्चों की सुविधाओं के लिए मिलने वाली राशि माली व रसोईए पर खर्च न हो, उनके लिए अलग से राशि की व्यवस्था हो।

- जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जयपुर अतिक्रमण रोके व नालों की बारिश के पहिले सफाई करावे।
- आवारा पशुओं का कोलोटोक घूमना रुके। ऐसा नहीं करने पर आवारा पशु के कारण दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति के घायल होने अथवा मृतक के आश्रितों को सहायता राशि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निगम /नगरपालिका की होगी।
- नागरिकों को स्वच्छ पानी मिले। पर्यावरण नियंत्रण मंडल ध्यान रखें कि फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा एवं रसायन तालाब आदि में न जाए। कोई भी फैक्ट्री बिना सहमति व LTA Plant काम न करें-मण्डल नियमित रूप से उनकी मॉनिटरिंग करें व सफाई की समुचित व्यवस्था हो।
- राज्य सरकार आयोग को वित्तीय स्वायत्ता एवं अन्य सुविधाओं के साथ-साथ आयोग में रिक्त स्थानों की भर्ती की इजाजत देगी।

सुशासन के लिए मानवाधिकार हनन रोकना जरूरी

10 अक्टूबर 2005

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सदस्य एवं कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भास्कर राव ने मानवाधिकारों के हनन पर अंकुश को सुशासन का मूलमंत्र बताया। उन्होंने जयपुर प्रवास के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष एवं मद्रास व कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन.के. जैन, आयोग के सदस्य एवं शासन के अन्य उच्चाधिकारीगण भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों को उच्चतम न्यायालय द्वारा डी.के. बसु के मामले में दिए निर्देशों की पालना का ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा कोई भी न्यायालय को अवमानना की शिकायत कर सकता है। पुलिस कर्मियों पर काम का बोझ अधिक होने की समस्या भी सामने आ रही है।

आयोग का मत है कि मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु सरकारी मशीनरी के साथ-साथ आम जनता का सहयोग एवं प्रिंट मीडिया की भी सकारात्मक भूमिका अति आवश्यक है।

मिलते-जुलते नाम से सावधान

'मानवाधिकार' के नाम पर एक दर्जन से अधिक संगठनों के प्रतिनिधियों के खिलाफ पैसे कमाने की शिकायतें मिली हैं। 'राष्ट्रीय मानवाधिकार विभाग' और 'मानवाधिकार संरक्षण मंच' नाम के गैर सरकारी संगठन भी चल रहे हैं। आयोग स्पष्ट कर देना चाहता है कि जयपुर स्थित राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की कोई अन्य शाखा अथवा कार्यालय राजस्थान में और नहीं है और न ही ऐसा कोई संगठन इस आयोग से संबद्ध है। ऐसे ही एक फर्जी संगठन के एक व्यक्ति ने स्वयं को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बताकर एक अन्य संस्थान का निरीक्षण भी कर लिया। राज्य मानवाधिकार आयोग ने प्रशासन से ऐसे संगठनों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये हैं।

आयोग जवाब चाहता है, क्यों-

- स्कूल जाने वाले मासूम बच्चे बस्तों के बोझ से दबे है।

- बालवाड़ी के बच्चे पांच साल से कम के हैं। उनके स्कूल का समय बड़े बच्चों के मुकाबले कम नहीं है।
- स्कूलों में बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है।
- स्कूलों में पीने का स्वच्छ पानी, शौचालय, मूत्रालय, साफ-सफाई एवं पंखे की व्यवस्था नहीं है।

आयोग के पदाधिकारियों द्वारा अस्पतालों, जेल, पुलिस थानों एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों, गौशालाओं एवं पशु चिकित्सालयों आदि का निरीक्षण किया या एवं मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये जाते रहे हैं।

आयोग ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. को नोटिस जारी कर कहा है कि अव्यवस्थित ट्रांसफार्मर एवं लटकते तारों को व्यवस्थित करके मानव जीवन को सुरक्षित करना सुनिश्चित किया जावे।

आयोग ने सभी जिला कलक्टर व जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिये हैं कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए बाल विवाहों को रोकने की कार्यवाही करें एवं आयोग को सूचित करें।

मैला ढोने वालों के रोजगार और शुष्क शौचालय निर्माण निषेध अधिनियम 1993, (24.1.1997) के बावजूद यह प्रथा प्रचलित है। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने व सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों पर क्या प्रभावी कार्यवाही की गई? तथ्यात्मक रिपोर्ट आयोग को प्रेषित करें।